दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या. (सि.) सं. 1375/2007

निर्णय की तिथि : 01.07.2008

सुश्री चित्रा शर्मा ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री अजीत कुमार सिन्हा, अधिवक्ता।

बनाम

एयरलाइन एलाइड सर्विसेज़ लिमिटेड ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री मिलंका चौधरी, अधिवक्ता।

कोरम:-

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार

1. क्या स्थानीय समाचार पत्र के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ
2. रिपोर्टर को संदर्भित किया जाना है या नहीं? हाँ
3. क्या निर्णय डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ

न्या. अनिल कुमार

1. याचिकाकर्ता ने मुंबई से नई दिल्ली अंतरण के बाद उसके पद/स्थिति को चेक केबिन क्रू से केबिन क्रू में पदावनत करने तथा वरिष्ठ केबिन क्रू का पद

स्थायी प्रकृति का होने के बावजूद संविदा के आधार पर केबिन क्रू की नियुक्ति करने की अनैतिक प्रथा को चुनौती दी है।

2. विवादों की विवेचना करने के लिए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 7 नवंबर, 1996 से 6 नवंबर, 1999 तक तीन साल की अवधि के लिए वरिष्ठ केबिन क्रू के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति संविदात्मक थी और याचिकाकर्ता शुरू में नई दिल्ली में कार्यरत थी। याचिकाकर्ता के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच आपसी लिखित अनुबंध से अनुबंध को बढ़ाया या नवीनीकृत किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने प्राख्यान दिया कि प्रत्यर्थी एक कंपनी है जिसके मामलों को पूरी तरह से नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'राज्य' का एक साधन है। याचिकाकर्ता और प्रत्यर्थी के बीच अनुबंध को समय-समय पर बढ़ाया गया है और अब यह 30 सितंबर, 2009 तक है।

3. अपनी नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ता ने परिवीक्षा अवधि पूरी की और विस्तारित अवधि के दौरान सीनियर केबिन क्रू के रूप में काम करना जारी रखा। सीनियर केबिन क्रू के रूप में काम करते समय याचिकाकर्ता को उचित चयन के बाद चेक केबिन क्रू का पद/स्थिति दी गई। चेक केबिन क्रू बनने के बाद याचिकाकर्ता ने नई दिल्ली में काम किया और उसके बाद उसका मुंबई में अंतरण हो गया। जब याचिकाकर्ता का मुंबई में अंतरण हुआ तो वह चेक केबिन

क्रू पद/स्थिति पर बनी रही और उसे नए चयन के द्वारा मुंबई में चेक केबिन क्रू के पद पर नियुक्त नहीं किया गया।

4. मुंबई में चेक केबिन क्रू के रूप में काम करते समय, याचिकाकर्ता ने अपनी माँ की गंभीर हृदय संबंधी बीमारी के कारण दिल्ली में अंतरण की माँग की। 24 अगस्त, 2005 को पत्र द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा माँगे गए अंतरण के अनुसरण में प्रत्यर्थी ने 30 सितंबर, 2005 को छह महीने के लिए अस्थायी आधार पर याचिकाकर्ता को मुंबई से नई दिल्ली अंतरित करने पर सहमति व्यक्त की और याचिकाकर्ता को इस अनुबंध के साथ अंतरित किया गया कि वह मुंबई से दिल्ली तक स्वयं के लिए एक एसओडी मार्ग की हकदार होगी। मुंबई से नई दिल्ली में अंतरित होने पर याचिकाकर्ता को 4 अक्टूबर, 2005 को छह महीने की अवधि के लिए मुंबई से मुक्त कर दिया गया और याचिकाकर्ता को 5 अक्टूबर, 2005 को दिल्ली में पद संभालने की सलाह दी गई। याचिकाकर्ता को मुंबई से नई दिल्ली अंतरित करते समय यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि वह अंतरण लाभों के लिए पात्र नहीं होगी। याचिकाकर्ता ने अक्टूबर, 2005 में दिल्ली में कार्यभार संभाला और चेक केबिन क्रू के पद पर काम करना जारी रखा तथा उसे मार्च, 2006 तक 40 रुपये प्रति घंटे की दर से कार्यकारी उड़ान भत्ता और चेकशिप योग्यता भत्ता दिया गया।

5. याचिकाकर्ता को 28 मार्च, 2006 को 24 मार्च, 2006 का एक पत्र मिला जिसमें उसे सूचित किया गया कि उसे अनुकंपा के आधार पर मुंबई से नई

दिल्ली अंतरित कर दिया गया है और इसलिए, वह दिल्ली में चेक केबिन क्रू का पद/स्थिति नहीं रखेगी। इसलिए उसे अप्रैल, 2006 से 40/- रुपये प्रति घंटे का कार्यकारी उड़ान भत्ता और चेकशिप योग्यता भत्ता नहीं दिया गया है, जो कि याचिकाकर्ता द्वारा मार्च, 2006 से प्रस्तुत वेतन पर्चियों से स्पष्ट है।

6. हालाँकि याचिकाकर्ता को 3 अक्टूबर, 2005 के पत्र द्वारा छह महीने के लिए अंतरित किया गया था, लेकिन 6 मार्च, 2006 के आदेश द्वारा अनुकंपा के आधार पर उसका अंतरण स्थायी कर दिया गया था, जिसके अनुसार 24 मार्च, 2006 का पत्र याचिकाकर्ता को भेजा गया था, जिसमें उसे सूचित किया गया था कि वह दिल्ली में चेक केबिन क्रू का पद/स्थिति नहीं रखेगी। अक्टूबर, 2005 में जब उसे अनुकंपा के आधार पर अंतरित किया गया था, तब याचिकाकर्ता को यह नहीं बताया गया था कि अंतरण पर वह चेक केबिन क्रू के पद/स्थिति के लिए पात्र नहीं होगी और न ही याचिकाकर्ता ने इस अनुबंध के अधीन अनुकंपा के आधार पर अंतरण के लिए सहमति दी थी कि अंतरण पर उसे नई दिल्ली में चेक केबिन क्रू का पद/स्थिति नहीं दिया जाएगा।

7. याचिकाकर्ता ने मुंबई से नई दिल्ली में अंतरण के समय उसे चेक केबिन क्रू का पद/स्थिति देने से इनकार करने के विरुद्ध इस आधार पर विरोध जताया कि चेक केबिन क्रू का पद/स्थिति किसी व्यक्ति के अनुभव, ज्ञान, गुणवत्ता और प्रतिभा के मानदंड पर दिया जाता है, जिसका आकलन लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाता है और अंतरण के बाद उसे वापस नहीं लिया

जा सकता। ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता चेक केबिन क्रू का पद/स्थिति पाने की हकदार नहीं है और इसलिए याचिकाकर्ता ने 5 अप्रैल, 2006 के पत्र द्वारा नियमों की प्रति माँगी और उसे उपलब्ध कराने के लिए एक नोटिस दिया। याचिकाकर्ता ने 16 अप्रैल, 2006 को एक और पत्र भी लिखा जिसमें अंतरण पर चेक केबिन क्रू का पद/स्थिति न दिए जाने का विरोध किया गया था, जिसके लिए वह पहले चुनी गई थी और उसके अनुसार अंतरण पर उससे यह पद वापस नहीं लिया जा सकता था। याचिकाकर्ता ने यह भी प्राख्यान दिया कि अंतरण समकक्ष पद पर किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रतिवाद दिया कि सीनियर केबिन क्रू और चेक केबिन क्रू के पद दो पदों/स्थिति की स्थिति और प्रकृति और उत्तरदायित्वों को देखते हुए समकक्ष नहीं हैं।

8. याचिकाकर्ता ने आगे प्रतिवाद दिया कि चूँकि उसने अपने चेक केबिन क्रू के पद/स्थिति को छोड़ने से विरोध किया था, इसलिए प्रत्यर्थी ने झूठे आरोप लगाकर याचिकाकर्ता को परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ आरोपों के बारे में याचिकाकर्ता को 27 मार्च, 2006 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था। याचिकाकर्ता ने इसका उत्तर दिया और रोस्टर द्वारा नियुक्त केबिन क्रू सुश्री लियू गोनमेई को उतारने के निर्णय के बारे में बताया और प्रतिवाद दिया कि उसे उतारने का निर्णय कमांडर का था न कि उसका। उसने अलग-अलग केबिन क्रू के आकलन को उचित ठहराया। उसने स्पष्ट किया कि केबिन क्रू के बारे में कोई

भी टिप्पणी केवल उस दिन प्रदर्शित प्रदर्शन और दक्षता के आधार पर आकलन में मूल्यांकन थी जिस दिन उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में जाँच की गई थी।

9. याचिकाकर्ता ने 29 मई, 2006 को एक अन्य पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि यद्यपि उसने मुंबई से नई दिल्ली अंतरण पर अपने चेक केबिन क्रू पद/स्थिति को वापस लेने के संबंध में प्रासंगिक परिपत्र/कार्यालय आदेश माँगा था, तथापि, उसे यह नहीं दिया गया और, इसलिए, उसने कम से कम उक्त परिपत्र/कार्यालय आदेश दिखाने का अनुरोध किया, ताकि वह समझ सके कि किन दिशा-निर्देशों के अंतर्गत चेक केबिन क्रू पद/स्थिति को वापस लिया गया था। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रतिवाद दिया कि वह यह समझने में असमर्थ है कि उसे चेक केबिन क्रू पद/स्थिति देने से मना करने वाले परिपत्र/कार्यालय आदेश की प्रति दिखाने के उसके अनुरोध को कैसे अस्वीकार किया जा सकता है। 29 मई, 2006 को पत्र द्वारा याचिकाकर्ता ने फिर से कंपनी की नीति/नियम की प्रति माँगी जिसके अंतर्गत उसे चेक केबिन क्रू पद/स्थिति देने से मना कर दिया गया था और किस उपबंध के अंतर्गत उसे चेक केबिन क्रू के पद/स्थिति पर चयन के लिए फिर से साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया जा सकता है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 1 सितंबर, 2006 और 13 सितंबर, 2006 को अपने पत्रों द्वारा संबंधित नियम/परिपत्र/नोटिस की प्रति की भी माँग की।

10. परिपत्र/कार्यालय आदेश के बारे में याचिकाकर्ता द्वारा लंबे समय तक पत्राचार करने पर, उसे प्रबंधक (कार्मिक) से 18 सितंबर, 2006 को एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि अनुकंपा के आधार पर अंतरण पर चेक केबिन क्रू पद/स्थिति वापस लेने की नीति से संबंधित परिपत्र/कार्यालय आदेश वह देख सकती है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने चेक केबिन क्रू पद/स्थिति वापस लेने के संबंध में परिपत्र देखने के लिए 28 सितंबर, 2006 को एक पत्र भेजा। याचिकाकर्ता ने कार्मिक प्रमुख श्री अनिल कुमार वर्मा द्वारा जारी अंतर-क्षेत्रीय अंतरण के लिए कथित प्रस्तावित नीति के अंश का विरोध किया है जो इस प्रकार है:-

> "बड़ी संख्या में केबिन क्रू अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के कारण अंतर-क्षेत्रीय अंतरण के लिए अनुरोध कर रहे हैं और जब ऐसे अनुरोध स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो उस क्षेत्र में अंतरित व्यक्ति को उसके मौजूदा क्षेत्र में उसके पद की वरिष्ठता में सबसे नीचे रखा जाता है।
>
> केबिन क्रू की वरिष्ठता वर्तमान में क्षेत्रवार रखी जा रही है और पदोन्नति भी क्षेत्रीय आधार पर ही दी जाती है, क्योंकि यात्रा की एक विशिष्ट तिथि वाले दो केबिन क्रू दो अलग-अलग क्षेत्रों में एक ही पदनाम नहीं रख सकते हैं।
>
> यह देखा गया है कि पिछले कुछ समय से, विशेष रूप से दिल्ली क्षेत्र में, एक विसंगति उत्पन्न हो गई है, जहाँ अन्य क्षेत्रों से अंतरण पर आने वाले केबिन क्रू, हालाँकि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार केबिन क्रू से कनिष्ठ होते हैं, को परिचालन

आवश्यकताओं के कारण संबंधित क्षेत्र में वरिष्ठ केबिन क्रू के रूप में पदोन्नत किए जाने के कारण उच्च रैंक दे दी गई है।

प्रणाली को सुव्यवस्थित करने तथा उपरोक्त विसंगति को ठीक करने के लिए निम्नलिखित अनुशंसा की जाती है:-

जब भी किसी केबिन क्रू को परिचालन आवश्यकता के लिए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंतरित किया जाएगा, तो उसे उसकी वरिष्ठता के अनुसार एलायंस एयर में शामिल होने की तिथि के अनुसार उचित स्थान पर रखा जाएगा।

यदि केबिन क्रू के अनुरोध पर अनुकंपा के आधार पर अंतरण किया जाता है, तो उसे एलायंस एयर में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार उचित स्थान पर रखा जाएगा।

चूँकि चेक केबिन क्रू की संख्या बेस के अनुसार निर्धारित की जाती है, इसलिए अनुकंपा के आधार पर चेक केबिन क्रू का अंतरण, अंतरण के क्षेत्र में चेक शिप को रोक कर नहीं रखेगा।

अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया

ईडी (एओ) हस्ताक्षरित

अनिल कुमार वर्मा
कार्मिक प्रमुख

11. याचिकाकर्ता ने प्राख्यान दिया कि कथित नीति केवल एक टिप्पण थी जिसे कार्मिक प्रमुख द्वारा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था और यह नीतिगत निर्णय नहीं हो सकता था। उक्त टिप्पण पर भरोसा करते हुए यह प्रतिवाद दिया गया कि यह केवल यह सुझाव देता है कि अनुकंपा के आधार पर अंतरण के मामले में एक वरिष्ठ एयरहोस्टेस को प्रत्यर्थी कंपनी में शामिल होने

की तिथि के अनुसार उचित स्थान पर रखा जाना था। हालाँकि कथित प्रस्ताव में यह भी अनुध्यात किया गया था कि अनुकंपा के आधार पर अंतरित केबिन क्रू अंतरण के क्षेत्र में चेक-शिप नहीं रखेगा, लेकिन इसमें यह निर्धारित नहीं किया गया था कि अंतरण के क्षेत्र में फिर से चेकशिप की स्थिति/पद प्राप्त करने के लिए, अनुकंपा के आधार पर अंतरित कर्मचारी को फिर से उक्त स्थिति/पद प्रदान करने के लिए चयन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। याचिकाकर्ता ने यह भी प्राख्यान दिया कि यदि चेकशिप का पद/स्थिति उचित चयन के बाद गुणागुण के आधार पर दी गई थी और सेवा की अवधि के आधार पर नहीं, तो इसे अनुकंपा के आधार पर अंतर-क्षेत्रीय अंतरण पर वापस नहीं लिया जा सकता था। इन परिस्थितियों में यह प्रतिवाद दिया गया है कि याचिकाकर्ता को चेक केबिन क्रू पद/स्थिति से वंचित नहीं किया जा सकता है और उक्त पद को वापस लेना याचिकाकर्ता को निचले पद/स्थिति पर वापस भेजने के समान है और प्रत्यर्थी की कार्रवाई अवैध और अनुचित है। चूँकि याचिकाकर्ता को शुरू में 7 नवंबर, 1996 को सीनियर केबिन क्रू के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे गुणागुण के आधार पर चेक केबिन क्रू पद/स्थिति के लिए चुना गया था, इसलिए उसे लगभग नौ वर्षों तक इस पद पर रहने के बाद चेक केबिन क्रू की स्थिति/स्थिति पर चयन के लिए फिर से साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए नहीं कहा जा सकता था।

12. कर्तव्य की अवहेलना के आरोपों के बारे में याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से अभिवचन दिया कि रोस्टर द्वारा नियुक्त केबिन क्रू में से एक सुश्री लियू गोनमेई को उतारने का निर्णय फ़्लाइट के सुरक्षित संचालन के लिए कैप्टन जी.एस. सिद्धू, सीनियर कमांडर का था, जिसकी पुष्टि उसने प्रत्यर्थी के ईडी (एओ) से भी की थी और इसलिए उतारने की उक्त घटना के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध कर्तव्य की अवहेलना का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद भी याचिकाकर्ता को 'ड्यूटी पर नहीं' रखा गया। याचिकाकर्ता द्वारा 29 मार्च, 2006 को अभ्यावेदन किए जाने पर, उसे 30 मई, 2006 के पत्र द्वारा सूचित किया गया कि अनुकंपा के आधार पर उसके अंतरण के परिणामस्वरूप उसकी 'चेकशिप' स्थिति वापस ले ली गई थी और उसे 24 मार्च, 2006 के पत्र द्वारा इस बारे में पहले ही सूचित किया जा चुका है।

13. याचिकाकर्ता ने यह भी अभिवचन दिया कि नियम और दिशा-निर्देश स्पष्ट और विशिष्ट हैं कि अंतरण के बाद कर्मचारी को समकक्ष पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने आगे प्राख्यान दिया कि अंतरण के समय उसे कोई पत्र जारी नहीं किया गया था जिसमें यह संकेत दिया गया हो कि वह अपना चेक केबिन क्रू पद/स्थिति खो देगी। कथित नीति के बारे में यह प्रतिवाद दिया गया कि यह एक मात्र प्रस्ताव प्रतीत होता है जिसे अनुमोदित नहीं किया गया और कर्मचारियों को प्रसारित नहीं किया गया। हालाँकि प्रत्यर्थी यह आरोप लगा रहा है कि याचिकाकर्ता की रैंक और वरिष्ठता में कोई बदलाव

नहीं हुआ है और रैंक या वरिष्ठता में कोई कमी नहीं की गई है, हालाँकि, प्रत्यर्थी ने इस तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया कि चेक केबिन क्रू पद रखने वालों को नियमित भत्तों के अतिरिक्त 40/- रुपये प्रति घंटे का कार्यकारी उड़ान भत्ता दिया जाता है और 300/- रुपये का अतिरिक्त योग्यता भत्ता भी दिया जाता है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रकथन किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि किसी विशेष क्षेत्र में चेक केबिन क्रू 20% होना चाहिए। यह भी स्पष्ट रूप से प्रकथन किया गया कि दिल्ली में चेक केबिन क्रू के पद 20% से अधिक हैं और इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी का पूरा अभिवाक् भ्रामक है और प्रत्यर्थी ने विरोधाभासी आरोप लगाए हैं।

14. प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के अभिवाकों और प्रतिविरोधों का विरोध किया और अपने कंपनी सचिव का प्रति शपथपत्र दाखिल किया। प्रत्यर्थी ने नियमित नियुक्ति की माँग करने वाली याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध किया। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क-वितर्क के समय रिट याचिका में प्रार्थना (बी) के संबंध में अपने प्रस्तुतियों को सीमित कर दिया, जिसमें प्रत्यर्थी को यह निर्देश देने की माँग की गई थी कि वह मार्च, 2006 में अनुकंपा के आधार पर याचिकाकर्ता के स्थायी अंतरण के बाद उसकी चेकशिप स्थिति को कम न करे, जो फ़रवरी, 1997 में गुणागुण के आधार पर उसे प्रदान की गई थी। याचिकाकर्ता के इस अभिवाक् के बारे में यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा उक्त स्थिति प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय के रिट

अधिकार क्षेत्र का अवलंब नहीं लिया जा सकता है। यह प्रतिवाद दिया गया था कि याचिकाकर्ता की रैंक और वरिष्ठता में कोई बदलाव नहीं हुआ है और रिट याचिका में रैंक या वरिष्ठता में कमी की कोई शिकायत नहीं की गई है।

15. प्रत्यर्थी ने प्रतिवाद दिया कि जब भी किसी कर्मचारी के अनुरोध पर अनुकंपा के आधार पर अंतर-क्षेत्रीय अंतरण की अनुमति दी जाती है, और ऐसा कर्मचारी अपने वर्तमान क्षेत्र में चेकशिप की स्थिति रखता है, तो उसके अंतरण के क्षेत्र में चेकशिप की स्थिति रहेगी या नहीं, यह उस क्षेत्र की आवश्यकता पर निर्भर करेगा। जिस कर्मचारी को अंतरण के क्षेत्र में चेकशिप की स्थिति देने से मना किया जाता है, वह इस पर शिकायत नहीं कर सकता क्योंकि उक्त स्थिति देने से इनकार करना दंड के तौर पर नहीं है, बल्कि इनकार करने के लिए प्रासंगिक विचार आवश्यकता की अनुपस्थिति के साथ-साथ ऐसे कर्मचारी को अंतरण के क्षेत्र में कार्यरत समान वरिष्ठता/स्थिति वाले अन्य लोगों के बराबर उचित स्थान पर रखना है। यह भी प्रतिवाद दिया गया कि विशेष क्षेत्र में चेक केबिन क्रू की संख्या केबिन क्रू की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं है। अंतरक्षेत्रीय अंतरण के कारण उपरोक्त निर्धारित अनुपात को गंभीर झटका लगता है क्योंकि केबिन क्रू और चेक केबिन क्रू की संख्या बेस के अनुसार निर्धारित की जाती है। यह आगे प्रतिवाद दिया गया कि इसलिए प्रत्यर्थी ने एक नीति अपनाई कि एक नए क्षेत्र में अनुकंपा के आधार पर अंतरित चेक केबिन क्रू अंतरण के क्षेत्र में चेकशिप नहीं रखेगा, लेकिन जब भी रिक्ति उत्पन्न होगी,

अनुकंपा के आधार पर अंतरित क्रू, जिसने पहले क्षेत्र/बेस में चेकशिप की स्थिति रखी थी, को नए क्षेत्र/बेस में चेक स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी की ओर से यह प्राख्यान दिया गया कि अंतरित होने पर याचिकाकर्ता चेकशिप स्थिति के लिए हकदार नहीं थी और जब रिक्ति उत्पन्न हुई तो उसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहा गया और उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, हालाँकि, याचिकाकर्ता ने साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं होने का विकल्प चुना और इसलिए, वह चेक केबिन क्रू के पद/स्थिति के लिए हकदार नहीं है।

16. प्रत्यर्थी ने 15 मार्च, 2008 को एक प्रत्युत्तर भी दाखिल किया और आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता को सीनियर केबिन क्रू के समकक्ष पद पर अंतरित कर दिया गया था और याचिकाकर्ता की शिकायत गलत, झूठी और निराधार है। प्रत्युत्तर के उत्तर में, याचिकाकर्ता ने भेदभाव का आरोप लगाया क्योंकि अनुकंपा के आधार पर अंतरित किए गए कुछ चेक केबिन क्रू के मामले में, चेक केबिन क्रू से उनका पद/स्थिति वापस नहीं ली गई। इसके बाद प्रत्यर्थी ने 20 मई, 2008 को एक और अतिरिक्त शपथपत्र दायर किया जिसमें अनुकंपा के आधार पर अंतरित सुश्री पी. सेठ के चेक केबिन क्रू के पद के लिए चयन न करने को उचित ठहराते हुए कहा कि उक्त अंतरण 16 सितंबर, 2005 की कथित नीति से पहले हुआ था और इसलिए, नीति उस समय लागू नहीं थी। नई दिल्ली में रिक्तियों के संबंध में 20 मई, 2008 के शपथपत्र में प्रतिवाद दिया गया था कि

संचालन में गिरावट के कारण, हालाँकि 13 रिक्तियाँ हैं, हालाँकि, मौजूदा कर्मचारियों की संख्या उड़ानों के संचालन का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त थी। तथापि, प्रत्यर्थी ने यह प्रकट नहीं किया कि क्या अक्टूबर, 2005 में जब याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नई दिल्ली अंतरित किया गया था, उस समय रिक्तियाँ मौजूद थीं या मार्च, 2006 में जब याचिकाकर्ता का चेक केबिन क्रू पद/स्थिति वापस ले ली गई थी, तब कोई रिक्तियाँ नहीं थीं।

17. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्तागण को विस्तार से सुना है। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को 3 अक्टूबर, 2005 को मुंबई से दिल्ली अंतरित किया गया था और 6 मार्च, 2006 के आदेश द्वारा अनुकंपा के आधार पर स्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। उक्त आदेश में यह अनुबंध नहीं था कि अंतरण पर वह अपना चेक केबिन क्रू पद/स्थिति खो देगी जिसके लिए उसे लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद चुना गया था। 24 मार्च, 2006 के बाद के एक पत्र द्वारा उसे सूचित किया गया कि चूँकि उसका अंतरण अनुकंपा के आधार पर हुआ है, वह दिल्ली में चेक केबिन क्रू का पद नहीं सँभालेगी जहाँ उसे अंतरित किया गया था। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद चेक केबिन क्रू के पद के लिए याचिकाकर्ता का चयन करते समय, यह प्रकटीकरण नहीं किया गया था कि अनुकंपा के आधार पर अंतर-क्षेत्रीय अंतरण पर पद खो जाएगा। 30 मई, 2006 को एक अन्य पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि अनुकंपा के आधार पर

अंतरण की नीति के अनुसार जब भी अंतरण के क्षेत्र में चेक केबिन क्रू के पद के लिए चयन किया जाएगा, तो उसे पद के लिए उसकी **उपयुक्तता** का न्यायनिर्णयन करने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। याचिकाकर्ता को संबोधित 30 मई, 2006 के पत्र का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:

> "आपको सूचित किया जाता है कि मौजूदा नीति के अनुसार, यदि किसी चेक केबिन क्रू को उसके स्वयं के अनुरोध पर अनुकंपा के आधार पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंतरित किया जाता है, तो वह अंतरित किए गए क्षेत्र में चेकशिप नहीं रखेगी। जब भी अंतरण के क्षेत्र में चेक केबिन क्रू के पद के लिए चयन होता है, तो ऐसे उम्मीदवार को पद के लिए उसकी **उपयुक्तता** का न्यायनिर्णयन करने के लिए सीधे व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाता है।

याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए विभिन्न अभ्यावेदनों के अनुसरण में, उसे दिनांक 21 सितंबर, 2006 के पत्र द्वारा पुनः सूचित किया गया कि उसकी **योग्यता का पुनः आकलन किया जाना है** और इसलिए याचिकाकर्ता को मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। दिनांक 21 सितंबर, 2006 के पत्र का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार है:

> " 25 मार्च, 2006 को सी.डी. 7134 पर केबिन क्रू को उतारने के संबंध में, निर्णय मूलतः फ़्लाइट के कमांडर कैप्टन जी.एस. संधू द्वारा लिया गया था। हालाँकि, यह देखा गया है कि आपने उक्त केबिन क्रू के बारे में कमांडर को परस्पर विरोधी जानकारी दी। आपने पहले उन्हें बताया कि केबिन क्रू को आपात स्थितियों के

बारे में कम जानकारी है, लेकिन बाद में यह कहते हुए उनके पास वापस गई कि केबिन क्रू को फ़्लाइट संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि उसे आई.एफ़.एस. प्रमुख द्वारा उसे विमान में ले जाने का निर्देश दिया गया है। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैंने निर्णय लिया है कि इस संबंध में आपको जारी किया गया पत्र विखंडित कर दिया जाए। हालाँकि, आप अपने विभाग की निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन करेंगी।

मुझे अभिलेखों से पता चला कि इस संबंध में कार्यपालक निदेशक (एयरलाइंस परिचालन) ने 16 सितंबर, 2005 को एक स्पष्ट नीति निर्धारित की थी। इस नीति में अंतर-क्षेत्रीय अंतरण के कारण वरिष्ठता निर्धारण से उत्पन्न विसंगतियों को संबोधित किया गया था।

भविष्य में चेक केबिन क्रू का चयन करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया का भी पालन किया जाएगा:

1. जब भी नए क्षेत्र/बेस में चेक स्थिति भरी जाएगी, तो अनुकंपा के आधार पर अंतरित होने वाले क्रू को इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।

2. प्रतिस्पर्धा करने पर क्रू को लिखित परीक्षा से छूट मिलेगी क्योंकि वह पहले ही इसे पास कर चुकी है। यदि पहले चेक स्थिति प्राप्त करते समय कोई लिखित परीक्षा पास नहीं की गई थी, तो क्रू अपने प्रदर्शन और आचरण के आधार पर ईडी (एयरलाइन परिचालन) के विवेक पर लिखित परीक्षा से छूट पाने का हकदार होगा।

चूँकि आप पहले ही चेकशिप प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि आपके मामले में लिखित परीक्षा से छूट दी जाएगी। आप **अपनी योग्यता का पुनः आकलन** करने के लिए मौखिक परीक्षा में उपस्थित होकर चेकशिप के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती

हैं। आपको मौखिक परीक्षा की तिथि और स्थान के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा।

18. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि चेक केबिन क्रू केवल एक स्थिति है, कोई पद नहीं। प्रत्यर्थी की ओर से अधिवक्ता का अभिवाक् प्रत्यर्थी के दस्तावेज़ों के विपरीत है। 30 मई, 2006 के पत्र में प्रत्यर्थी ने बयान दिया था कि चेक केबिन क्रू एक पद है और याचिकाकर्ता को उक्त पद के लिए उसकी उपयुक्तता का न्यायनिर्णयन करने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रत्यर्थी ने अन्य पत्रों में भी 'चेक केबिन क्रू' को पद के रूप में संदर्भित किया है। चेक केबिन क्रू के पद के लिए अलग-अलग पारिश्रमिक हैं और उक्त पद के लिए चयन लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाता है। 13.12.2005 के परिपत्र और साक्षात्कार के कॉल लेटर से पता चलता है कि चेक केबिन क्रू का पद स्थिति और रैंक में उच्चतर चयन पद है जिसके लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाता है। इसलिए प्रत्यर्थी के अधिवक्ता का यह अभिवाक् कि यह कोई पद नहीं बल्कि केवल एक स्थिति है, स्वीकार्य नहीं है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी के किसी भी नियम को यह दिखाने के लिए भी नहीं दिखाया है कि चेक केबिन क्रू केवल एक स्थिति है और कोई पद नहीं है और प्रत्यर्थी के नियमों के अंतर्गत 'पद' और 'स्थिति' के बीच क्या अंतर है।

19. प्रत्यर्थी द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि चेक केबिन क्रू के पद से याचिकाकर्ता को वापस लेने के कारण, याचिकाकर्ता को उड़ान भत्ते के रूप में 40 रुपये प्रति घंटे कम भुगतान किया गया है और अप्रैल, 2006 से याचिकाकर्ता को 300 रुपये का एक अन्य योग्यता भत्ता भी नहीं दिया गया है। यह तथ्य याचिकाकर्ता के मार्च, 2006 और अप्रैल, 2006 के वेतन बिलों से भी स्पष्ट है, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए अभिवाकों और प्रतिविरोधों से यह स्पष्ट है कि दो पद, सीनियर केबिन क्रू और चेक केबिन क्रू समान नहीं हैं। समानता के लिए सही मानदंड उनकी स्थिति, प्रकृति और दो पदों से जुड़े कर्तव्यों के उत्तरदायित्वों पर विचार करना है। भारतीय विदेश सेवा के प्रमुख द्वारा 13 दिसंबर, 2005 को जारी अधिसूचना में यह अनुबंधित किया गया है कि चेक केबिन क्रू से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूर्वाग्रह और तीव्र पसंद-नापसंद से मुक्त हो, निष्पक्ष मूल्यांकन करने में सक्षम हो और अपनी निष्पक्षता के लिए जाना जाए तथा वह वायु कर्मचारियों में अनुशासन के उच्च मानकों को स्थापित करने में सक्षम हो और उनके प्रति उसका रवैया संतुलित हो और इसलिए, 'चेक केबिन क्रू' में पदोन्नति के लिए पात्रता को केवल सेवा वरिष्ठता पर नहीं छोड़ा गया है। इसलिए, स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए दो साल से अधिक केबिन क्रू की संतोषजनक सेवा के बाद पात्रता की शर्तें निर्धारित की गईं। चयन के लिए तकनीकी योग्यता, कार्य ज्ञान और अन्य मानवीय कारकों को महत्व दिया जाता है। जबकि सीनियर केबिन क्रू केवल न्यूनतम अवधि की सेवा पूरी करने पर एक उन्नयन है, लेकिन चेक केबिन क्रू

को चयन के बाद नियुक्त किया जाता है। 13.12.2005 के परिपत्र और साक्षात्कार के कॉल लेटर से पता चलता है कि चेक केबिन क्रू का पद स्थिति और रैंक में उच्चतर चयन पद है जिसके लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाता है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रति शपथपत्र में उठाए गए अभिवाक् को पुष्ट करने में असमर्थ हैं कि याचिकाकर्ता की रैंक और वरिष्ठता में कोई बदलाव नहीं हुआ है और रैंक और वरिष्ठता में कोई पदावनति नहीं हुई है। याचिकाकर्ता को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद 'चेक केबिन क्रू' के पद पर नियुक्त किया गया था। अक्टूबर, 2005 में अनुकंपा के आधार पर अंतरण के समय उसे यह नहीं बताया गया था कि उसका 'चेक केबिन क्रू' का पद वापस ले लिया जाएगा। बाद में मार्च, 2006 में उसे बताया गया कि उसका 'चेक केबिन क्रू' का पद वापस ले लिया गया है और उसे उक्त पद के लिए फिर से चयनित होना होगा और उक्त पद के लिए उसकी उपयुक्तता और योग्यता का न्यायनिर्णयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

20. कुलपति, एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय बनाम दयानंद जाह, (1986) 3 पूरक एससीसी 7 में समान वेतनमान होने के बावजूद प्रिंसिपल और रीडर के पद का आकलन करते समय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि समतुल्यता का सही मानदंड विभिन्न पदों से जुड़े कर्तव्यों की स्थिति, प्रकृति और ज़िम्मेदारी है। उच्चतम न्यायालय ने पृष्ठ 10 के पैरा 8 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

"8..... समतुल्यता का सही मानदंड दोनों पदों से जुड़े कर्तव्यों की स्थिति और प्रकृति और ज़िम्मेदारी है। यद्यपि प्रधानाचार्य और रीडर के दोनों पद एक ही वेतनमान पर हैं, प्रधानाचार्य के पद में निस्संदेह उच्च कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ हैं। इस तथ्य के अतिरिक्त कि इसके साथ कुछ विशेषाधिकार और भत्ते जुड़े हैं, महाविद्यालय के प्रमुख होने के नाते प्रधानाचार्य के पास कई वैधानिक अधिकार हैं, जैसे: (i) वह सीनेट का पदेन सदस्य है। (ii) उसे सिंडिकेट के सदस्य के रूप में नामित होने का अधिकार है। (iii) संस्था के प्रमुख के रूप में, उसका महाविद्यालय के प्रोफ़ेसरों, रीडरों, व्याख्याताओं और अन्य शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण है। (iv) एक संघटक महाविद्यालय का प्रधानाचार्य विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद का पदेन सदस्य भी होता है। (v) उसे विश्वविद्यालय परीक्षाओं में केंद्र अधीक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि रीडर का पद विधिक अर्थों में प्रधानाचार्य के समकक्ष पद नहीं माना जा सकता। हो सकता है कि जब विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी महाविद्यालय के मामलों का प्रबंधन ठीक से न किया जा रहा हो, तो कुलपति प्रशासनिक कारणों से अपने द्वारा संचालित किसी विभाग या महाविद्यालय के प्रोफ़ेसर या रीडर को ऐसे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पद पर अंतरित कर सकते हैं, लेकिन इसके विपरीत सत्य नहीं हो सकता है। जबकि प्रोफ़ेसर और रीडर अपनी विद्वता और ज्ञान के कारण महाविद्यालय के डीन या प्रधानाचार्य की तुलना में समाज में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976, यथा संशोधित की धारा 10(14) के प्रयोजनों के लिए प्रधानाचार्य के पद को रीडर के पद के बराबर माना जाना चाहिए।"

21. याचिकाकर्ता को सीनियर केबिन क्रू के पद पर नियुक्त किया गया था। 1997 में चयन के लिए पात्र होने के बाद, उसने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद वह उक्त पद पर चयनित हुई। चेक केबिन क्रू के पद के कर्तव्यों की प्रकृति सीनियर केबिन क्रू के कर्तव्यों की प्रकृति से भिन्न है। केवल इसलिए कि सीनियर केबिन क्रू और चेक केबिन क्रू के कुछ कर्तव्य अतिव्यापी हो सकते हैं, इसका यह निष्कर्ष नहीं है कि दोनों पदों के कर्तव्यों की प्रकृति समान है। एक सीनियर केबिन क्रू केवल अपनी वरिष्ठता के आधार पर 'चेक केबिन क्रू' के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। चेक केबिन क्रू को दिए जाने वाले वेतन सीनियर केबिन क्रू के वेतन से भिन्न और अधिक हैं, जिस तथ्य का प्रत्यर्थी द्वारा खंडन नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ भी नहीं दर्शाया है कि 'चेक केबिन क्रू' को अधिक भत्ते दिए जाने के बाद भी, नियमों के अंतर्गत दोनों पद एक जैसे हैं। इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी का अभिवाक् कि अंतरण पर याचिकाकर्ता का पद अपरिवर्तित रहा है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। चेक केबिन क्रू का पद स्थिति, प्रकृति और उत्तरदायित्वों में सीनियर केबिन क्रू से अलग है और याचिकाकर्ता को उक्त पद से हटाना याचिकाकर्ता को पद से हटाने के बराबर है। याचिकाकर्ता को केवल कथित नीति के आधार पर पद से नहीं हटाया जा सकता है, जिसके बारे में यह भी आरोप है कि यह प्रत्यर्थी के कार्यकारी निदेशकों में से एक द्वारा कथित रूप से अनुमोदित प्रस्ताव है।

22. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि चेक केबिन क्रू को अनुकंपा के आधार पर अंतरित किया जाता है, तो उसकी उपयुक्तता का पुनः आकलन किया जाना चाहिए क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों के उत्तरदायित्वों की आवश्यकता और मापदंडों में भिन्नताएँ हैं। प्रत्यर्थी ने अपने प्रति शपथपत्र, प्रत्युत्तर और अतिरिक्त शपथपत्र में इस अभिवाक् को नहीं लिया है। यदि प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण प्रत्यर्थी द्वारा चेक केबिन क्रू को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंतरित किया जाता है, तो विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता और मापदंडों में कथित भिन्नता के बाद भी उसका 'चेक केबिन क्रू' का पद वापस नहीं लिया जाता है और न ही उसकी उपयुक्तता का पुनः आकलन किया जाता है। फिर किस आधार पर और किन नियमों के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर अंतरित किए गए चेक केबिन क्रू की उपयुक्तता और क्षमता का पुनः आकलन किया जाना चाहिए? प्रत्यर्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्यों एक चेक केबिन क्रू, जिसका उसके अनुरोध पर अनुकंपा के आधार पर अंतरण किया जाता है, को चेक केबिन क्रू का पद खोना चाहिए अथवा वह अनुपयुक्त और अक्षम हो जाएगा और उसे अपनी उपयुक्तता और क्षमता को पुनः प्रदर्शित और साबित करना होगा तथा जो लोग अन्य प्रशासनिक कारणों से प्रत्यर्थी द्वारा अंतरित किए जाते हैं, वे 'चेक केबिन क्रू' के पद के लिए उपयुक्त बने रहते हैं।

23. प्रत्यर्थी ने ऐसा कोई अन्य उदाहरण नहीं दिया है जब चेक केबिन क्रू के पद/स्थिति को अनुकंपा के आधार पर ऐसे चेक केबिन क्रू के अंतरण पर वापस

ले लिया गया हो। प्रत्यर्थी अनुकंपा के आधार पर अंतरण पर चेक केबिन क्रू के पद को वापस लेने का कोई उचित कारण नहीं दे पाया है। अंतरण का आदेश किसी को भी मौजूदा अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता है। यह सुस्थापित तथ्य है कि जहाँ कार्यकारी आदेश के परिणामस्वरूप सिविल परिणाम होते हैं, वहाँ उससे पहले, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना आवश्यक है। किसी भी कानूनी नियम की अनुपस्थिति में कार्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप सिविल या दंडात्मक परिणाम होंगे। यदि अंतरण का आदेश किसी कर्मचारी की स्थिति को बहुत हद तक प्रभावित करता है, तो यह सेवा की शर्तों का उल्लंघन होगा और इस प्रकार यह अनुरक्षणीय नहीं होगा और अंतरण किसी समकक्ष पद पर किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी का यह मामला नहीं है कि नई दिल्ली में चेक केबिन क्रू का कोई पद उपलब्ध नहीं था और याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर अपने अंतरण पर नई दिल्ली में चेक केबिन क्रू का पद छोड़ने पर सहमति व्यक्त की थी। परिणामस्वरूप, कार्मिक प्रमुख के कथित प्रस्ताव के आधार पर, जिसे कथित रूप से ईडी (एओ) द्वारा अनुमोदित किया गया था, प्रत्यर्थी के किसी कर्मचारी को उसके पद से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि कर्मचारी स्वयं अनुकंपा के आधार पर अंतरण के कारण किसी भिन्न या निम्न पद पर जाने के लिए सहमत न हो।

24. प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता द्वारा कर्तव्य की अवहेलना के आधार पर उनके बीच आदान-प्रदान किए गए विभिन्न पत्राचारों में भी याचिकाकर्ता से 'चेक केबिन क्रू' का पद वापस लेने को उचित ठहराने का प्रयास किया है। यदि याचिकाकर्ता से चेक केबिन क्रू का पद कर्तव्य की अवहेलना के आधार पर वापस लिया जाना था, तो याचिकाकर्ता उचित पूछताछ और सुनवाई का उचित अवसर पाने की हकदार थी। दिए गए स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट है कि दूसरे रोस्टर द्वारा नियुक्त केबिन क्रू को हटाने का निर्णय एयर क्राफ़्ट के कमांडर कैप्टन जी.एस. सिद्धू का था, जो 29 मार्च, 2006 को कार्यकारी निदेशक (एओ) को संबोधित उसके पत्र से स्पष्ट है। सीनियर कमांडर कैप्टन जी.एस. सिद्धू और सुश्री सिमरथ चोपड़ा के बीच मतभेद केवल याचिकाकर्ता द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दिए गए फीडबैक के आधार पर नहीं लगाया जा सकता है और इसे याचिकाकर्ता द्वारा कर्तव्य की अवहेलना नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता से 'चेक केबिन क्रू' पद वापस लेना इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है और न ही तथ्यों और परिस्थितियों में इसे अनुरक्षित नहीं रखा जा सकता है और न ही प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर इसे उचित ठहराया है।

25. प्रत्यर्थी ने आगे प्रतिवाद दिया कि अंतर-क्षेत्रीय अंतरण पर, 'चेक केबिन क्रू' के पद पर अंतरण उस क्षेत्र की आवश्यकता पर निर्भर करता है। यह भी प्रतिवाद दिया गया कि एक कर्मचारी जिसे अंतरण के क्षेत्र में 'चेक केबिन क्रू'

पद से वंचित किया जाता है, वह इस पर शिकायत नहीं कर सकता है, क्योंकि यह दंड के रूप में नहीं है, बल्कि इनकार के लिए प्रासंगिक विचार आवश्यकता की अनुपस्थिति है और साथ ही ऐसे कर्मचारी को अंतरण के क्षेत्र में कार्यरत समान वरिष्ठता/स्थिति वाले अन्य लोगों के बराबर उचित स्थान पर रखना है। प्रत्यर्थी का अभिवाक् है कि चेक केबिन क्रू की संख्या केबिन क्रू की कुल संख्या का 20% से अधिक नहीं है। इसलिए, प्रत्यर्थी का मतलब था कि जब याचिकाकर्ता को अक्टूबर, 2005 में अनुकंपा के आधार पर नई दिल्ली अंतरित किया गया था, तो नई दिल्ली क्षेत्र में 'चेक केबिन क्रू' का कोई पद उपलब्ध नहीं था और इसलिए, उसे उसके अंतरण पर उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता था। हालाँकि, अक्टूबर 2005 में याचिकाकर्ता को चेक केबिन क्रू का पद देने से इनकार नहीं किया गया था क्योंकि उसे मार्च 2006 तक 'चेक केबिन क्रू' के पद के वेतन का भुगतान किया गया था। मार्च 2006 में याचिकाकर्ता से चेक केबिन क्रू का पद वापस ले लिया गया और इसके बजाय यह प्रतिवाद दिया गया कि उसे इस पद के लिए अपनी उपयुक्तता प्रदर्शित करने के लिए फिर से प्रतिस्पर्धा करनी होगी जिसका पुनः आकलन किया जाना है। प्रत्यर्थी यह दर्शाने में असमर्थ है कि अनुकंपा के आधार पर अंतरण पर चेक केबिन क्रू कैसे अनुपयुक्त और अक्षम हो जाएगा और प्रशासनिक आवश्यकताओं के लिए अंतर-क्षेत्रीय अंतरण के बाद उपयुक्त रहेगा। यदि चेक केबिन क्रू की संख्या 20% से अधिक नहीं होनी थी या अक्टूबर, 2005 या मार्च, 2006 में 'चेक केबिन क्रू' के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती थी, तो प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता का

अंतरण नहीं करना चाहिए था या उसके अंतरण के बाद किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए उसकी सहमति लेनी चाहिए थी। यह स्पष्ट करने के लिए कि अंतरित क्षेत्र में 'चेक केबिन क्रू' का कोई पद नहीं था, प्रत्यर्थी को यह विवरण देना चाहिए था कि नई दिल्ली क्षेत्र में कुल कितने केबिन क्रू थे और कितने 'चेक केबिन क्रू' थे और नई दिल्ली में 'चेक केबिन क्रू' का कोई पद उपलब्ध नहीं था। प्रत्यर्थी ने पहली बार में इन प्रासंगिक तथ्यों का प्रकटीकरण नहीं किया। बल्कि इस जानकारी को छिपाने का प्रयास किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा 16 अप्रैल, 2008 को दिए गए प्रत्युत्तर में स्पष्ट रूप से प्रतिवाद दिए जाने के बाद ही यह बात सामने आई कि 27 दिसंबर, 2004 को केबिन क्रू की कुल संख्या 84 थी और इसलिए, प्रत्यर्थी के आरोपों के अनुसार भी चेक केबिन क्रू के 16 पद हो सकते थे, जिनमें से दिल्ली में चेक केबिन क्रू के केवल 4 पद भरे हुए थे और 12 पद रिक्त थे, तब प्रत्यर्थी ने एक अलग मत अपनाया और प्रतिवाद दिया कि प्रत्यर्थी के परिचालन में गिरावट के कारण, उस समय दिल्ली क्षेत्र में पहले से उपलब्ध चेक केबिन क्रू की संख्या फ़्लाइट के परिचालन के प्रबंधन के लिए पर्याप्त थी। यह अभिवाक् प्रत्यर्थी द्वारा नहीं लिया गया। याचिकाकर्ता के अंतरण के समय, उसे यह नहीं बताया गया कि अंतरण के क्षेत्र में 'चेक केबिन क्रू' के पद के लिए कोई काम नहीं है और इसलिए यह उससे वापस ले लिया जाएगा और उसे उक्त पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थी का अभिवाक् यह है कि कथित नीति के अनुसार, एक कर्मचारी अपना पद खो देगा जिस पर उसे उचित चयन के बाद नियुक्त किया गया था। स्पष्ट है

कि प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता को मुंबई क्षेत्र से नई दिल्ली में अंतरित होने पर 'चेक केबिन क्रू' के पद से वंचित करने के उद्देश्य से अलग-अलग मत अपनाए हैं। प्रत्यर्थी ने प्रत्यर्थी के संचालन में कथित गिरावट और इस आधार पर 'चेक केबिन क्रू' की कम संख्या को नियुक्त करने के लिए प्रत्यर्थी द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय के संबंध में कोई तथ्य नहीं दिया है। इसलिए वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी को इस आधार पर याचिकाकर्ता को 'चेक केबिन क्रू' का पद देने से इनकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि जब याचिकाकर्ता को अक्टूबर, 2005 में और उसके बाद मार्च, 2006 में प्रत्यर्थी के संचालन में कथित गिरावट के कारण अंतरित किया गया था, तब नई दिल्ली में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं थीं।

26. इसलिए, उपर्युक्त कारणों से, अनुकंपा के आधार पर अंतरण पर याचिकाकर्ता से चेक केबिन क्रू का पद वापस लेने और उसे सीनियर केबिन क्रू के पद पर नियुक्त करने की प्रत्यर्थी की कार्रवाई को प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए किसी भी आधार पर अनुरक्षित नहीं रखा जा सकता है और न ही कथित नीति के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता को उसके अंतरण पर चेक केबिन क्रू के पद से वंचित किया जा सकता है और न ही याचिकाकर्ता की योग्यता का पुनः आकलन करने और उसे 'चेक केबिन क्रू' के उक्त पद के लिए फिर से चुनने की प्रत्यर्थी की कार्रवाई को तथ्यों और परिस्थितियों में अनुरक्षित रखा जा सकता है।

27. इसलिए, उपर्युक्त कारणों से रिट याचिका को अनुमति दी जाती है और प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता को नई दिल्ली क्षेत्र में अंतरित होने पर 'चेक केबिन क्रू' के पद पर नियुक्त न करने और मार्च, 2006 से इसे वापस लेने की कार्रवाई को अपास्त किया जाता है। इसलिए, प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता को उसके अंतरण की तिथि से 'चेक केबिन क्रू' के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है। तथ्यों और परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता उक्त पद पर अपनी नियुक्ति वापस लेने की तिथि से 'चेक केबिन क्रू' के रूप में अपनी सेवा की निरंतरता के लिए भी हकदार होगी। याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों की भी हकदार होगी। याचिकाकर्ता को तथ्यों और परिस्थितियों में प्रत्यर्थी के विरुद्ध 10,000/- रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है।

1 जुलाई, 2008 **न्या. अनिल कुमार**
'देव'

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*